2?/	तारीख 19/3/19 को पेश हो।
19/3/19	आज श्रीमान् ए.डी.एम. / एस.डी.एम. साहब बाहर / अवकाश पर हैं। पेशी इलाका को जाकर पत्रावली तारीख 25/4/19 को पेश हो।
25/4/19	आज श्रीमान् ए.डी.एम. / एस.डी.एम साहब दौरे / अवकाश पर हैं। पेशी इलाका को जाकर पत्रावली तारीख 13/5/19 को पेश हो।
13/05/19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी के प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई।

Scanned by CamScanner

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्याय हित में प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार कर मूल वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमाये जाये। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन में पाया गया कि न्याय हित में वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 9 R4 CPC का स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 9 R4 CPC का स्वीकार किया जाता है। मूल वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है मिसल फैसल सुमार हो कर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
RJS